क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

ZONAL RAILWAY USERS' CONSULTATIVE COMMITTEE

उत्तर मध्य रेलवे

NORTH CENTRAL RAILWAY

के लिए

FOR

संविधान एवं नियम

CONSTITUTION & RULES

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति	
प्रस्तावना।	1
संयोजन।	1
कार्य।	5
कार्यकाल।	7
बैठके।	7
उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद के चुनाव की प्रक्रिया ।	7
बैठक का कार्यवृत्त।	9
अनुपस्थिति की छुट्टी।	9
सदस्य के लिए यात्रा भत्ता।	9
सदस्य के लिए दैनिक भत्ता।	13
संसद सदस्य जो समिति के सदस्य है, के लिए यात्रा सुविधाए एवं यात्रा भत्ता।	13
संसद सदस्य जो समिति के सदस्य है, के लिए दैनिक भत्ता।	15
राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता।	15
सदस्यों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित नियम।	17
सदस्यों को निः शुल्क पास जारी कराने से संबंधित नियम।	17
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक का संचालन।	19
रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के उपयोग में आने वाले प्रोफ़ार्मा।	21,22,23
रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों द्वारा अशोक चक्र प्रतीक चिन्ह और भारतीय रेल के अधिचिन्ह के प्रयोग के संबंध में निर्देश।	24,25

उत्तर मध्य रेलवे

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का संविधान एवं नियम

1. **प्रस्तावना**

रेल उपयोगकताओं से गहन संपर्क स्थापित करने और उनका व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से इलाहाबाद, झांसी एवं आगरा मंडल में गठित मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के अलावा उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति का गठन किया गया है।
इसका उद्देश्य रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित मामलों में परमर्श के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना तथा प्रभावी सुधार हेतु उपाय एवं साधन की खोज करना है।

2. संयोजन

मुख्यालय की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में क्षेत्रीय रेलवे के उपयोगकर्ताओं का प्रतिनधित्व करने के लिए रेल मंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे, जैसा कि नीचे वर्णित है :–

(i) उत्तर मध्य रेलवे द्वारा सेवित राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान) की सरकारों का एक–एक प्रतिनिधि जिनकी उन राज्य सरकारों ने संस्तुति की हो।

(ii) रेलवे द्वारा सेवित राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा यथा संस्तुत राज्यों की प्रत्येक विधान मडलं का एक–एक सदस्य।

(iii) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख चेम्बर्स आफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशन जो कम से कम 5 वर्ष पुराना हो, उसके अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि ।

(iv) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए कृषि एसोसिएशनों और अन्य निकायों के 2 प्रतिनिधि जो ऊपर के पैरा (3) में उल्लिखित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आदि से संबंद्ध न हों या उनमें सम्मिलित न हों।

(v) इलाहाबाद, आगरा, झांसी मंडलों में गठित प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति द्वारा चुना गया एक गैर–सरकारी प्रतिनिधि।

(vi) इस रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के दो प्रतिनिधि।